भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1812

05 अगस्त, 2025 के लिए प्रश्न

एनईआर राज्यों को आवश्यक वस्तुओं का आवंटन

1812. श्री दोरजी त्शेरिंग लेप्चा:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि;

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान आज तक उत्तर-पूर्व क्षेत्र (एनईआर) के राज्यों को गेहूं, चावल, खाद्यतेल, मिट्टी के तेल आदि के आवंटन का, विशेषकर सिक्किम सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर राज्यों को जारी उपरोक्त मदों का कोटा अपर्याप्त है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क) से (घ): राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को खाद्यान्नों का आबंटन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित लाभार्थियों की पहचान के आधार पर किया जाता है। एनएफएसए के तहत खाद्यान्नों में चावल, गेहूँ या मोटा अनाज या इनका संयोजन शामिल होता है।

पिछले तीन वर्षों के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के तहत सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों को खाद्यान्नों (गेहूँ और चावल) के आवंटन का विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है। भारत सरकार टीपीडीएस के अंतर्गत लाभार्थियों को खाद्य तेल या मिट्टी का तेल उपलब्ध नहीं कराती है।

इसके अतिरिक्त, जब भी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत खाद्यान्न आबंटन में संशोधन के लिए अनुरोध प्राप्त होते हैं, तो उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए निर्धारित लाभार्थियों की अधिकतम सीमा के भीतर नए लाभार्थियों के

जुड़ने/हटने के कारण, उनकी जाँच की जाती है और मौजूदा नीति के अनुसार संशोधित आबंटन आदेश जारी किए जाते हैं।

******

अनुबंध-I

राज्य सभा में दिनांक 05.08.2025 को उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 1812 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

(हजार टन में)

पूर्वोत्तर क्षेत्र में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गेहूं और चावल का आबंटन									
	वर्ष 2022-23			वर्ष 2023-24			वर्ष 2024-25		
राज्य	गेहूँ	चावल	कुल	गेहूँ	चावल	कुल	गेहूँ	चावल	कुल
सिक्किम	3.96	58.97	62.93	6.45	43.10	49.55	3.92	42.04	45.96
असम	126.20	3045.87	3172.07	130.93	1834.80	1965.73	119.51	1835.90	1955.41
अरूणाचल	0.00	129.47	129.47	0.00	96.76	96.76	0.00	98.62	98.62
त्रिपुरा	38.08	379.34	417.42	37.81	262.71	300.52	37.75	265.38	303.13
मणिपुर	0.00	235.51	235.51	0.00	180.60	180.60	0.00	152.85	152.85
नगालैंड	0.00	211.09	211.09	0.00	146.59	146.59	0.00	144.35	144.35
मिजोरम	1.46	103.40	104.86	0.75	72.30	73.05	1.63	73.72	75.35
मेघालय	30.33	274.79	305.12	30.71	173.82	204.53	28.6	168.89	197.49
कुल	**200.03**	**4438.44**	**4638.47**	**206.65**	**2810.68**	**3017.33**	**191.41**	**2781.75**	**2973.16**

*****